

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2369/2011/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री गणेश उद्योग,
कोटा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/05/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 19/सीएसटी/2010-11/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.06.2011 व संशोधित 1/18-07/2011 आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरुद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी सोया, मस्टर्ड तेल, वनस्पति घी, डी.ओ.सी. का निर्माता एवं विक्रेता है। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2006-07 की अवधि में खाध्य तेल की विक्रय सी फार्म के समर्थन में करना बताया गया। इन सी फार्म की जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन कोटा को दिल्ली, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश भेजकर वहां के बिक्री कर अधिकारियों के रेकार्ड के आधार पर कार्यवाही की गई। जिसके अनुसार निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

क्र. सं.	सी प्रपत्र से संपूरित बिक्री के संबंध में क्रोता फर्म का नाम	सी प्रपत्र क्रमांक	अनियमितता/सत्यापन निष्कर्ष	असत्यापित राशि
1.	मै. बंसल ट्रेडर्स दिल्ली	13P-727486	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अन्तर्प्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	4,65,987/-
2.	मै. श्री बालाजी ट्रेडिंग कं. देहली	13P-801512	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अन्तर्प्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	5,44,140/-

लगातार.....2

3.	मै. ए.के. इम्पेक्स देहली	13P-400166	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अर्न्तप्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	1,22,02,467 / -
4.	मै. ए.के. इम्पेक्स देहली	13P-273164	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अर्न्तप्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	1,99,73,356 / -
5.	मै. समीर कुमार आकाश कुमार ग्वालियर	2144410	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया मूल फार्म में राशि अंकित नहीं है।	6,36,400 / -
6.	श्रीराम ट्रेडिंग कं. फरीदाबाद	HR96/2188821	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अर्न्तप्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	36,41,072 / -
7.	मै. श्री कृष्णा ट्रेडिंग कं. चरखीदादरी	HR04-C 2947530	प्रधिकृत अधिकारी कार्यालय से जांचोपरान्त उक्त प्रपत्र फर्म को जारी किया जाना नहीं पाया गया तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा कोई अर्न्तप्रान्तीय खरीद करना नहीं बनाया गया।	5,93,980 / -
			योग	3,80,57,402 / -

वणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने तथ्यों व रेकार्ड के आधार पर प्रकरण की जांच की और सूची के क्रम सं 3, 4, 5, 7 पर अंकित सी फार्म क्रमांक 13P-400166, 13P-273164, 2144410, HR04-C2947530 उचित मानते हुए स्वीकार किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी ने क्रम सं. 1, 2 एवं 6 पर अंकित कुल 3 सी फोर्म के संबंध में निष्कर्ष निकाला की उक्त राशि रुपये 46,51,199/- के खाद्य तेल की अर्न्तप्रान्तीय विक्रय कूटरचित व असत्यापित सी फार्म के समर्थन में कर चोरी की मंशा से की गई है, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रुपये 1,39,536/-, धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 2,79,072/- एवं ब्याज रुपये 64,185/- इस प्रकार कुल 4,82,793/- की मांग कायम की। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा प्रथम अपील उपायुक्त अपीलस, अजमेर कैम्प कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण करते हुए विद्वान उपायुक्त अपीलस ने धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति एवं

लगातार.....3




ब्याज को अपास्त किया व आरोपित अतिरिक्त कर को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। जिसके विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा शास्ति एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की तरफ से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कहना है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये सी फॉर्म एवं इससे संबंधित संव्यवहारी की जांच करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में विभाग टीम को देहली, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों को भेज कर संबंधित राज्यों के बिक्री कर विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया जाकर इस बाबत तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी। इन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी/सूचना के अनुसार विवादित "सी" फॉर्म संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा क्रेता फर्मों को जारी ही नहीं किये गये जाना पाया गया जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपने माल को अन्तर्राज्यकीय बिक्री इन फर्मों को करना बताया है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम, की धारा 8(1) एवं 8(4) के प्रावधानों की पालना नहीं होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी रियायती कर दर पर माल विक्रय करने की पात्रता नहीं रखता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बोगस "सी" फॉर्म को अस्वीकार करते हुए आरोपित किया गया अन्तर कर एवं ब्याज विधिक दृष्टि से पूर्णतया उचित है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वोत्तम वेजीटेबल प्रोडक्ट्स के न्यायिक दृष्टान्त (101 एस.टी.सी. 547) को उद्धरित किया गया। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय को गलत बताते हुए विभाग द्वारा ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आग्रह किया गया। उनके अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर को कायम रखते हुए ब्याज को आपस्त करने में भूल की है। यदि आंतरिक कर देय है तो ब्याज स्वतः ही देय होता है। अतः अपास्त किये गये ब्याज को पुनः कायम रखने की प्रार्थना की।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को उचित बताते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित अन्तर्राज्यीय विक्रय बाबत देय कर राशि से कम कर राशि के भुगतान करने के उद्देश्य से अनुचित तरीके से "सी" फॉर्म प्राप्त करके करापवंचन करने का प्रयास किया गया है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा इस बिन्दु पर भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को सही बताते हुए अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्ति योग्य होने से इसको अपास्त करके विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का आग्रह किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत "सी" फॉर्मों की देहली, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा संबंधित क्रेता व्यवहारियों को जारी किये गये हैं तथा क्रेता व्यवहारी फर्में संबंधित राज्य के बिक्री कर विभाग में पंजीकृत हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उचित बिल व बिल्टी से माल, खाद्य तेल क्रेता व्यवहारियों को भेजा गया तथा इसकी एवज में क्रेता व्यवहारियों से प्रतिफल राशि का भुगतान भी प्राप्त किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारियों से जो "सी" फॉर्म प्राप्त किये वो कर निर्धारण

लगातार.....4



अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये। तथा इसमें प्रत्यर्थी विक्रेता द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया। इन "सी" फॉर्म में यदि कोई कूटरचना की गई है तो वह क्रेता के स्तर पर की गई होगी न की विक्रेता के स्तर पर। इसलिए क्रेता द्वारा की गई भूल के लिए विक्रेता को दण्डित नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक का कहना है कि जांच अधिकारी के क्रेता फर्मों से कोई जांच नहीं किये जाने के कारण यह जांच अधूरी होने से इसके आधार पर प्रस्तुत "सी" फॉर्म को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के इस बिन्दु पर पारित आदेश को उचित बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि बिना कोई विधिक आधार के कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित कर दी जबकि प्रत्यर्थी द्वारा कोई संव्यवहार, बहियों, बिक्री विवरण पत्रों आदि से नहीं छुपाया गया है तथा न ही ऐसा कोई कार्य किया है जो किसी भी प्रकार से करापवंचन की श्रेणी में आता हो। अपने कथन की पुष्टि में 26 सेल्स टैक्स टुडे 19, 26 टैक्स अपडेट 01 तथा 32 टैक्स अपडेट 03, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वैट रिपोर्टर वोल्यूम 8 पेज 292 सीटीओ बनाम कोहिनुर इण्डस्ट्रीज जोधपुर, माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 19.07.2012 अपील संख्या 2019/2011/कोटा सीटीओ बनाम शिव एडीबल्स लि0, कोटा के न्यायिक निर्णयों को उद्धरित किया गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की ओर से आरोपित शास्ति को अविधिक बताते हुए इस बिन्दु पर पारित अपीलीय अधिकारी के आदेश को धारा 61 विधिसम्मत बताते हुए विभाग द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का आग्रह किया गया।


5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. उपराजकीय अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोत्तम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के न्यायिक दृष्टान्त (1996) 101 एसटीसी 547 को उद्धरित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

"---- One must first satisfy the condition in section 8(4) to become eligible for the concessional rate in section 8(1). It is only thereafter that he can claim the benefit of the said notification for which purpose again he has to satisfy the conditions prescribed in the notifications."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्तर प्रान्तीय बिक्री पर धारा 8(1) में अंकित देय कर में रियायत पाने के लिए धारा 8(4) के प्रावधान में अंकित सभी शर्तों को सम्पूरित करना आवश्यक है।

इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिन क्रेता फर्मों को माल विक्रय करना दर्शाते हुए पेश किये गये है वे "सी" फार्म उन क्रेता फर्मों द्वारा संबंधित राज्य के विभाग से जारी ही नहीं करवाये गये है। इसलिये हस्तगत प्रकरण में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) के प्रावधान में अंकित शर्तों की पालना नहीं होने से विक्रेता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विवादित "सी" फार्म स्वीकार योग्य नहीं है।




7. केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) व धारा 8(4) के प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित अपील निर्णय 101 एसटीसी 547 के आलोक में विक्रेता प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवादित "सी" फार्म स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म को अस्वीकार करते हुये जो अन्तर कर आरोपित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर दिया गया निर्णय विधिसम्मत होने से बहाल रखा जाता है।
8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये "सी" फार्म बोगस पाये जाने पर प्रत्यर्थी के गलत तरीके से बिक्री कर की देय राशि में अनुचित रियायत पाने के लिए किए गए कार्य को करापवंचन की श्रेणी में मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई है।
9. प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपनी बहियों में विवादित खरीद-बिक्री के संव्यवहारों का इन्द्राज किया हुआ है। तथा बिक्री विवरण पत्रों में भी इस बिक्री को घोषित किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी ने बहियों व बिक्री विवरण पत्रों में कोई संव्यवहार नहीं छिपाया है। विवादित "सी" फार्मों के प्रस्तुत करने में व्यवहारी का दोषी मनोभाव सिद्ध नहीं होता है और न ही इस बात की पुष्टि होती है कि विक्रेता ने दुरभिसंधि से गलत फार्म प्राप्त करके प्रस्तुत किये हैं। इस संबंध में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम व्हाइट मार्बल हाउस के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (26 सेल्स टैक्स टूडे 19) द्वारा पारित किये गये निर्णय में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह इस प्रकार है :-

"From the perusal of the impugned orders, it does not appear that the assessing authority made any effort to establish the collusion of the selling dealer in production of the false or fake C forms before him. In the absence of any enquiry having been held, the two appellate authorities were justified in setting aside the penalty under section 65 of the Rajasthan Sales Tax Act upon the selling dealer."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के मामले में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्णय के सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent assessee.

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य (26 टैक्स अपडेट 1) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहारी द्वारा बहियों में माल की खरीद/बिक्री का इन्द्राज होने की स्थिति में उसके विरुद्ध करापवंचन की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय के अभिनिर्णय का संबंधित पैरा इस प्रकार है :-




"So far as the question of penalty is concerned the items which were not include in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are no included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealer's turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

उपयुक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की गई शास्ति अविधिक होने से अपास्त योग्य है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

10. जहां तक ब्याज का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी द्वारा कर को यथावत रखते हुये ब्याज अपास्त किया है। जबकि ब्याज Automatic है एवं जहां भी कर देय होगा, वह अदत्त रहेगा तो ब्याज स्वतः ही गणनानुसार देय होता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने ब्याज से अपास्त करने में भूल की है। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर 6 टैक्स अपडेट 317 को उद्धरित किया गया है, अतः ब्याज को पुनः कायम किया जाता है तथा इस बिन्दु पर विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

फलतः विभाग की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये गये ब्याज को कायम रखते हुये विभाग की अपील को स्वीकार किया जाता है तथा शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


5-5-14
(अमर सिंह)
सदस्य